प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.08.2024

थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली

नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा नरकटी जंगल से गोवंश को पैदल हांककर वध हेतु बिहार ले जाते समय 12 राशि गोवंशो की बरामदगी के साथ शातिर 06 गौ-तस्कर को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व कृष्ण मुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय टीम के द्वारा नरकटी जंगल से 12 राशि गोवंश को वध हेतु क्रूरता पूर्वक बांध कर मारते पीटते पैदल हांककर बिहार ले जाते समय 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा 03 अभियुक्त जंगल, झाडी व अन्धेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। कुल 12 राशि गोवंश में बरामदगी के साथ 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नौगढ़ पर मु0अ0सं0 79/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ अभियुक्तगण-गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हमलोग का एक सुसंगठित गिरोह है हम सभी लोग जनपद सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज व जनपद मिर्जापुर के थाना अहरौरा व चुनार के आस पास ग्रामीण क्षेत्रो से गोवंशो को सस्ते दामो पर खरीद कर जंगल के रास्ते पैदल हांककर नरकटी जंगल गहिला बाबा के रास्ते लौवरी कला होते हुए बिहार प्रान्त ले जाकर ऊचे दामो पर बेच देते है और जो लाभ होता है आपस में बराबर बराबर बाट लेते है। यह कार्य हमलोग अपना व अपने परिवार के आर्थिक भौतिक दुनियाबी लाभ के लिये करते है।

पजीकृंत अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 79/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नौगढ,चन्दौली

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1.सुकालू मुसहर पुत्र स्व0 कैलाश मुसहर नि0 ग्राम मधुपुर मुसहर बस्ती थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र करीब 28 वर्ष

2.महेन्द्र राम पुत्र रामजीयावन नि0 ग्राम लोहरा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनबद्र उम्र 28 वर्ष

3.गुड्डू राम पुत्र मिठाई राम नि0 ग्राम लोहरा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र 36 वर्ष

4.राजकुमार कुमार कोल उर्फ बल्ला कोल पुत्र नन्दलाल कोल नि0 मधुपुर कोल बस्ती बजार के पास थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र 26 वर्ष

5.समुन्दर मुसहर पुत्र पखड़ी बनवासी नि0 ग्राम लोहरा गुलरहवा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र 24 वर्ष

6.लल्लू बनवासी पुत्र प्रभु बनवासी नि0 ग्राम लोहरा गुलरहवा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र 19 वर्ष

बरामदगी विवरण-

1.12 ऱाशि गोवंश

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

3.हे0का0 भृगुनाथ यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

4.हे0का0 आनन्द कुमार शुक्ला थाना नौगढ जनपद चन्दौली

5.का0 विशाल यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

6.का0 संदीप यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

□थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में वांछित वारंटियों के गिरफ्तारी के लिए दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक आ0 व कृष्ण मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय टीम के द्वारा थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 77/24 धारा 70(2)/115(2)/352/ 351(2)/137(2) BNS व 5G/6 पॉक्सो एक्ट में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सुजीत चौहान पुत्र प्रकाश चौहान नि0 लोहरा थाना रॉबर्ट्स गंज जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 77/24 धारा 70(2)/115(2)/352/351(2)/137(2) BNS व 5G/6 पॉक्सो एक्ट थाना नौगढ,चन्दौली

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1.सुजीत चौहान पुत्र प्रकाश चौहान नि0 लोहरा थाना रावर्टगंज जनपद सोनभद्र उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

हे0का0 भृगुनाथ यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

का0 संदीप यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग भी की जा रही है।

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.24 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 20 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

□रक्षाबन्धन, श्रावण मास के अंतिम सोमवार व आगामी त्योंहारो के दृष्टिगत चन्दौली पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय बार्डरों पर चलाया जा रहा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेंकिग अभियान

□नागरिको मे सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने हेतु जनपद चन्दौली पुलिस लगातार कर रही है, संदिग्ध स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, कस्बो में संदिग्ध व्यक्तियो व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर जनपदीय पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।आज रक्षाबन्धन, श्रावण मास के अंतिम सोमवार व आगामी त्योंहारो के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद के सभी बार्डर के थानो को बैरियर ड्यूटी के माध्यम से हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखने व अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संदिग्ध स्थानो पर लगातार चेकिंग व सर्च अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया गया है।

इन सब के साथ पुलिस संदिग्ध स्थानों पर गस्त के माध्यम संदिग्धों पर नजर रख रही है और आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति वाहनों को चेक कर रही है। सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने भीड़ वाले इलाकों में गश्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट व गेस्ट हाउस में भी चेकिंग की जा रही है। बिना नंबर वाले वाहनों की भी लगातार चेकिंग के निर्देश दिए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई असामाजिक गतिविधि उत्पन्न न हों। जनपदीय पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को कायम रखने व अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिदिन संदिग्ध स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, कस्बे में पैदल गश्त की जा रही है। पुलिस के गश्त का उद्देश्य नागरिको मे सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना है व वाहनों की चैकिंग, संदिग्ध लोगों से पूछताछ के साथ उनकी पहचान भी करना है।

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 19.08.2024 को कुल 216 वाहनों का चालान करते हुए 291000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.08.2024 को जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 216 वाहनों का चालान करते हुए 291000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या	**यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार**	**चालान की संख्या**
1	बिना परमिट- 02	
2	बिना रजिस्ट्रेशन- 07	
3	बिना हेलमेट- 64	
4	मोटरसाइकिल पर तीन सवारी- 27	
5	नो पार्किंग- 51	
6	गलत नम्बर प्लेट- 09	
7	लाइसेंस ना होना- 11	
8	गलत दिशा - 19	
9	बेबजह हॉर्न बजाना- 03	
10	बिना फिटनेस- 06	
11	बिना बीमा- 15	
12	अन्य-02	

यातायात नियमों के उलंघन में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-216

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-291000/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक-19.08.2024

जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

□पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगामी त्योंहार रक्षाबन्धन के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गस्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।